विज्ञापन

राज्य में विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन एवं सत्यापन हेतु नियोजन विभाग द्वारा विशेषज्ञ संस्थाओं का पैनल तैयार किया जा रहा है। इच्छुक तथा अर्ह विशेषज्ञ संस्थाओं से दिनांक 04 जून, 2016 तक बिड उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी थी, अब यह समय सीमा दिनांक 28 जून, 2016 तक बढ़ा दी गयी है। इच्छुक तथा अर्ह विशेषज्ञ संस्थाऐं दिनांक 28 जून, 2016 तक निर्धारित प्रारूप पर बिड निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर भवन, पुराना हैदराबाद, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित मुहरबंद लिफाफे में उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त किसी भी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा हेतु निर्धारित प्रारूप तथा अन्य सुसंगत विवरण वेबसाईट http://shasanadesh.up.nic.in पर शासनादेश संख्या–5/2016/170/35–1–2016–6/8 (22)/2008 दिनांक 02 मार्च 2016 के साथ उपलब्ध हैं।

विशेषज्ञ संस्थाओं के लिए तकनीकी अर्हताऐं निम्नानुसार हैं :–

1 कम से कम पांच वर्षो से कम्पनी एक्ट/सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट/लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हों।
2 पिछले तीन वर्ष की अवधि में वार्षिक टर्नओवर किसी भी वर्ष में रू0 5 करोड़ से कम न हो। संस्था द्वारा विगत 5 वर्षो का आडिटेड स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट जमा करना अनिवार्य है।
3 संस्था के पास मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु पर्याप्त संख्या में विषय क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ/तकनीकी स्टाफ/अवस्थापनाएं उपलब्ध हों।
4 केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन का अनुभव हो।
5 आवेदक संस्था केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित सरकार द्वारा ब्लैकलिस्टेड न हो तथा उसके विरूद्ध भारत में कहीं भी अपराधिक वाद पंजीकृत न हो/किसी न्यायालय में वाद लम्बित न हो/वह दण्डित न हो। संस्था द्वारा इस आशय का एक शपथ–पत्र देना होगा।
6 संस्था द्वारा अभिलेखीय आधार पर तकनीकी अर्हता पूर्ण करना ही इम्पैनेलमेन्ट के लिए पर्याप्त नहीं होगा। न्यूनतम तकनीकी अर्हता पूरी करने वाली आवेदक संस्थाओं को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

तकनीकी बिड्स में निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये :–

1 प्रमुख अधिकारियों के नाम/सी0वी0 – परिशिष्ट 06 तथा 07 के अनुसार
2 संस्था का संगठनात्मक ढांचा – परिशिष्ट 06 के अनुसार
3 विगत 05 वर्षों के आय व्यय की रिपोर्ट एवं शुद्ध लाभ हानि – परिशिष्ट 08 के अनुसार
4 विगत 05 वर्षों में पूर्ण किये गये मूल्यांकन अध्ययनों का विवरण तथा रिपोर्ट की छायाप्रतियां – परिशिष्ट 11 के अनुसार समस्त सलाहकारों एवं विशेषज्ञों का विवरण/बायोडाटा
5 संस्था से सम्बन्धित अन्य सूचनायें जो महत्वपूर्ण हों

6 उपर्युक्त सूचनाओं के अतिरिक्त संस्था का विस्तृत विवरण, अनुसंधान दल का संगठन, संसाधन, संख्यात्मक एवं गुणात्मक योग्यता, संगठन/संस्था का समान प्रकृति के कार्य का अनुभव एवं तीन क्लाएन्ट्स का नाम एवं पूर्ण पता, जिनसे निविदादाता के अनुभव तथा दक्षता की पुष्टि की जा सके, का विवरण भी दिया जायेगा

(परिशिष्ट का आशय उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्टों से है।)

सीलबंद निविदायें बिड डालने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के तत्काल बाद नियोजन विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समस्त बिडर्स के समक्ष खोली जायेंगी।

(अरूण कुमार सिन्हा)

प्रमुख सचिव।